7/23 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय समय में एक-एक कर तीन नख्वा आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी को संबंधित रीडर पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी पेश नहीं किया गया है। अतः न्यायालय वाद खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तामील तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़